रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229080
CG-DL-E-17082021-229080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 2021/श्रावण 26, 1943
No. 463] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 2021/SHRAVANA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 575(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियमों को मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 136 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 फरवरी, 2021 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 137 के साथ पठित धारा 136क द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 167 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**167क. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रानिक मानीटरिंग और प्रवर्तन**—(1) चालान जारी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति को राज्य सरकार के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुमोदन प्रमाण पत्र रखना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि युक्ति सही है और उचित रुप से क्रियाशील है तथा अनुमोदन प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर नवीनीकृत होगा ।

स्पष्टीकरण—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति से कैमरा, कलोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, शरीर में पहना जाने वाला कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहिचान (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है ।

(2) शरीर में पहने जाने वाले कैमरे को पुलिस अधिकारी, परिवहन पदधारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी द्वारा पहना जा सकेगा और ऐसा अधिकारी या पदधारी अपराधी को अधिसूचित करेगा कि वह शरीर कैमरा द्वारा रिकार्ड कर लिया गया है और इसी प्रकार से, डैशबोर्ड कैमरों को किसी पुलिस यान के डैशबोर्ड पर लगाया जा सकेगा या यातायात नियमों को लागू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य यान में लगाया जा सकेगा और ऐसा अधिकारी या पदधारी अपराधी के रुप में अधिसूचित किया जाएगा कि वह डैशबोर्ड कैमरे के द्वारा रिकार्ड कर लिया गया है ।

(2) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राज्यमार्गों पर उच्च-जोखिम और उच्च-घनत्व वाले गलियारों पर तथा कम से कम दस लाख से अधिक जनसंख्या (दस लाख से अधिक शहरी संघट्टीकरणों या शहरों पर आधारित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार : भारत की 2011 की जनगणना या नवीनतम जनगणना के अनुसार) नीचे दी गई सारणी जिसमें यथा विनिर्दिष्ट 132 शहरों को शामिल किया गया है पर उचित इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों को लगाया जाएगा और इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति ऐसी रीति से लगायी जाएगी जिससे यातायात प्रवाह में कोई बाधा लाईन आफ साइट इशू या व्यवधान कारित न हो—

सारणी

राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) के अधीन भारत में 132 गैर-प्राप्ति/दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 132 शहरों की सूची

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	क्रम सं.	शहर
आंध्र प्रदेश (13)	1.	गुंटूर
	2.	कुर्नूल
	3.	नेल्लोर
	4.	विजयवाड़ा
	5.	विशाखापटनम
	6.	अनंनपुर
	7.	चितूर
	8.	इलूरु
	9.	कडप्पा
	10.	ओंगोल
	11.	राजमंड्री
	12.	श्रीकाकुलम
	13.	विजियानगरम
असम (05)	14.	गुवाहाटी
	15.	नागौन
	16.	नालबारी
	17.	सिबसागर
	18.	सिलचर

बिहार (03)	19.	पटना
	20.	गया
	21.	मुज्जफरपुर
चंडीगढ़ (01)	22.	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़ (03)	23	भिलाई
	24.	कोबरा
	25.	रायपुर
दिल्ली (01)	26.	दिल्ली
गुजरात (04)	27.	सूरत
	28.	अहमदाबाद
	29.	वड़ोदरा
	30.	राजकोट*
हिमाचल प्रदेश (7)	31.	बाद्दी
	32.	दमताल
	33.	काला अंब
	34.	नालागड़
	35.	पौंटा साहिब
	36.	परवाणू
	37.	सुदंर नगर
जम्मू और कश्मीर (2)	38.	जम्मू
	39.	श्रीनगर
झारखंड (03)	40.	धनबाद
	41.	जमशेदपुर*
	42.	रांची*
कर्नाटक (04)	43.	बैंगलौर
	44.	देवांगेरे
	45.	गुलबर्गा
	46.	हुबली-धारवाड
मध्यप्रदेश (07)	47.	भोपाल
	48.	देवास
	49.	इंदौर
	50.	सागर
	51.	उज्जैन
	52.	ग्वालियर
	53.	जबलपुर*
महाराष्ट्र (19)	54.	अकोला
	55.	अमरावती
	56.	औरंगाबाद
	57.	बदलापुर
	58.	चंद्रापुर
	59.	जलगांव
	60.	जालना
	61.	कोल्हापुर
	62.	लातूर
	63.	मुम्बई

	64.	नागपुर
	65.	नासिक
	66.	नवीं मुम्बई
	67.	पुणे
	68.	सांगली
	69.	सोलापुर
	70.	उलहासनगर
	71.	थाणे
	72.	वसई-वीरार*
मेघालय (01)	73.	बाईरनीहट
नागालैंड (02)	74.	दीमापुर
	75.	कोहिमा
उड़ीसा (07)	76.	अंगुल
	77.	बालासोर
	78.	भुवनेश्वर
	79.	कटक
	80.	राउरकेला
	81.	तलचर
	82.	कलिंगा नगर
पंजाब (09)	83.	डेरा बासी
	84.	गोबिंद गढ़
	85.	जलंधर
	86.	खन्ना
	87.	लुधियाना
	88.	नया नांगल
	89	पठानकोट /डेराबाबा
	90.	पटियाला
	91.	अमृतसर
राजस्थान (05)	92.	अलवर
	93.	जयपुर
	94.	जोधपुर
	95.	कोटा
	96.	उदयपुर
तमिलनाडू (04)	97.	थुथुकुडी
	98.	त्रिची
	99.	मदुरई
	100.	चेन्नई*
तेलगांना (04)	101.	हैदराबाद
	102.	नालगोंडा
	103.	पटानचेरुवू
	104.	संगरेड्डी
	105.	आगरा
	106.	इलाहाबाद
	107.	अनपरा
	108.	बरेली

उत्तर प्रदेश (17)	109.	फिरोजाबाद
	110.	गजरौला
	111.	गाजियाबाद
	112.	झांसी
	113.	कानपुर
	114.	खुर्जा
	115.	लखनऊ
	116.	मुरादाबाद
	117.	नोएडा
	118.	रायबरेली
	119.	वाराणसी
	120.	गोरखपुर
	121.	मेरठ*
उत्तराखंड (03)	122.	काशीपुर
	123.	ऋषिकेश
	124.	देहरादून
पश्चिमी बंगाल (7)	125.	कोलकाता
	126.	आसनसोल
	127.	बैरकपुर
	128.	दुर्गापुर
	129.	हल्दिया
	130.	हावडा
	131.	रानीगंज
हरियाणा (1)	132.	फरीदाबाद*
*दस लाख से अधिक वाले शहर किन्तु अप्राप्ति शहरों के भाग नहीं		

(3) उपनियम (1) और (2) के लिए अवस्थिति, तारीख और समय के लिए इलेक्ट्रानिक स्टांप रखने वाली इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति से फुटेज, निम्नलिखित अपराधों हेतु चालान जारी करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, अर्थात्:—

(i) विहित गति सीमा के भीतर चालान नहीं करना (धारा 112 और धारा 183);

(ii) अपराधिकृत स्थान पर यान को रोकना या पार्क करना (धारा 122);

(iii) चालकों और पिछली सीट सवारों के लिए सुरक्षा उपाय नहीं करना (धारा 128);

(iv) सुरक्षात्मक हेडगियर या हेल्मेट नहीं पहनना (धारा 129);

(v) लालबत्ती पार करना, निषेध चिन्ह का उल्लंघन करना, यान चलाते समय हाथ में पकडी हुई संसूचना युक्तियां प्रयुक्त करना, विधि के विरुद्ध रीति में अन्य यानों को पार करना या उनसे आगे निकलना, यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध यान चलाना, किसी ऐसी रीति में यान चलाना जो सक्षम और सावधान चालक से आशा करने से अत्यंत निम्न है और जहां किसी सक्षम और सावधान चालक के लिए यह स्पष्ट हो कि उस रीति में यान चलाना खतरनाक होगा (धारा 184);

(vi) अनुज्ञेय भार से अधिक यान चलाना (धारा 194 की उपधारा (1);

(vii) सुरक्षा बेल्ट के बिना यान चलाना (धारा 194ख);

(viii) मोटरयान (चालन) विनियम, 2017 के नियम 6 (पंक्तिबद्ध यान चलाने से संबंधित) का उल्लंघन करना (धारा 177क);

(ix) माल वाहन द्वारा सवारियां ले जाना (धारा 66);

(x) मोटरयान (चालन) विनियम, 2017 के नियम 36 (रजिस्ट्रीकरण प्लेट से संबंधित) का उल्लंघन करना (धारा 177क);

(xi) किसी यान को ऐसे भार के साथ चलाना जो उसकी बोडी दोनों ओर या उसके आगे या पीछे निकला हो अथवा उसकी उंचाई अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो (धारा 194 की उपधारा (1क);

(xii) आपात यान को मुक्तमार्ग प्रदान करने में असफलता (धारा 194ङ);

(4) (क) राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करेंगी कि इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति द्वारा मानिटर किए गए हिस्सों के समक्ष उचित चेतावनी चिन्ह दृश्यमान रूप से लगाए जाएं, जनता को यह अधिसूचित किया जाए कि ऐसी युक्ति प्रयोग में है तथा संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भौतिक संकेत, भौतिक विराम रेखाएं तथा पैदल यात्री क्रोसिंग सड़क पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।

(ख) खराब मौसमी दशाओं जैसे वर्षा, ओले, कोहरा वाले मौसम आदि के साथ साथ मार्ग में आगे कोई अवरोध दर्शित करने के लिए सड़क पर गतिसीमाएं अधिसूचित करने के लिए उचित नियत और सक्रिय गतिसीमा चिन्ह भी प्रयोग किए जा सकेंगे ।

(5) (क) विधि प्रवर्तन अधिकारियों जैसे पुलिस और यातायात पदधारियां द्वारा यातायात का प्रबंध करते समय या कोई प्रवर्तन अभियान चलाते समय शरीर पर धारण करने योग्य कैमरा स्पष्ट रूप से प्रयोग किए जाएंगे और ऐसी युक्तियां किसी घटना की कार्यवाहियों को रिकोर्ड करने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी, जिन्हें अपराध करने वाले चालक या व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रयोग किया जा सकता तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विधि प्रवर्तन पदधारी में अपराध करने वाले चालक या व्यक्ति को दंडित करते समय विधि के उपबंधों के अनुसार कार्य किया है ।

(ख) बोडी कैमरा के विडियो और आडियो फंक्शन दोनो तभी सक्रिय होंगे जब विधि प्रवर्तन पदधारी ड्यूटी पर है तथा पदधारी उन व्यक्तियों को अधिसूचित करेगा कि उन्हें बोडी कैमरा द्वारा रिकोर्ड किया जा रहा है ।

(6) इलेक्ट्रानिक मानिटरी और प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से चालान के स्वत: सृजन का प्रयोग करते हुए नियम 167 के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में जारी सभी चालानों के साथ निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :-

(i) अपराध और यान की अनुज्ञप्ति प्लेट को दर्शाने वाला स्पष्ट फोटोग्राफी साक्ष्य;

(ii) इलैक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्ति से मापन;

(iii) अपराध की तारीख, समय और स्थान;

(iv) अधिनियम के उस उपबंध को विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस जिसका उल्लंघन किया गया है;

(v) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 65ख की उपधारा (4) के अनुसार प्रमाण पत्र, जो, --

(क) इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करता है तथा उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे तैयार किया गया;

(ख) इलैक्ट्रानिक अभिलेख को तैयार करने में अन्तर्वलित किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियां देता है जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए उचित हो कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया ।

(7) उपनियम (1) और (2) के अधीन चालान यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम से जारी किए जाएंगे और उनके साथ अपराध का नोटिस इलैक्ट्रानिक रूप जैसे एसएमएस या ई-मेल या भौतिक रूप में संलग्न होना चाहिए ।

(8) (क) चालान का संदाय नियम 167 के उपनियम (5), (6) और उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर किया जाएगा ।

(ख) ई-चालान का संदाय राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आनलाईन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक ढंग से या यातायात पुलिस स्टेशनों पर नकद या कार्ड प्रयुक्त करके अथवा राज्य द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अभिहित स्थानों पर या ई-चालान प्रणाली के ई-संदाय गेटवे पर किया जा सकता है ।

(9) अपराध का नोटिस अपराध होने के पन्द्रह दिन के भीतर भेजा जाएगा तथा इलैक्ट्रानिक मानिटरी द्वारा संग्रहीत इलैक्ट्रानिक अभिलेख चालान के निपटारे तक रखा जाना चाहिए तथा उस दशा में जहां इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी अपराध से संबंधित है, उसे आरम्भ की गई कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक रखा जाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत अपीलें भी हैं ।

(10) उस मामले में जहां यान का स्वामी अपराध के समय यान को नहीं चला रहा था, वह पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष उचित सबूत प्रदान करके अपने निर्दोष होने का दावा कर सकेगा कि अपराध के समय वह चालक नहीं था, या अपराध के समय कोई अन्य व्यक्ति चालक था ।"।

[फा. सं. आरटी-16031/1/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :–मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ), तारीख 2 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

G.S.R. 575(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, numbered G.S.R. 136 (E), dated the 25th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th February, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 136A read with section 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2021

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 167, the following rule shall be inserted, namely:—

"167A. Electronic *Monitoring and Enforcement of Road Safety*.-(1) The electronic enforcement device used for issuance of a challan shall have an approval certificate signed by a designated authority of the State Government certifying that the device is accurate and operating properly and the approval certificate shall be renewed on a yearly basis.

Explanation.- (1) For the purpose of this rule, "electronic enforcement device" means a speed camera, closed-circuit television camera, speed gun, body wearable camera, dashboard camera, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), weigh in machine (WIM) and any such other technology specified by the State Government.

(2) Body wearable camera may be worn by police officer, transport official or any other official authorised by the State Government and such officer or official shall notify to the offender that he is being recorded by the body camera and similarly, dashboard camera may be placed on the dashboard of any police vehicle or in any other vehicle as authorised by the State Government for enforcing the traffic rules and such officer or official shall notify to the offender that he is being recorded by the dashboard camera.

(2) State Governments shall ensure that appropriate electronic enforcement devices are placed at high-risk and high-density corridors on National Highways and State Highways, and at critical junctions at least in major cities with more than one million population (as per data available based on Million Plus Urban Agglomerations or Cities:

census of India 201I or as per the latest census) including the 132 cities as specified in the table below, and the electronic enforcement device shall be placed in such a manner so as not to cause any obstruction, line-of-sight issues or interruption in traffic flow—

TABLE

List of 132 Non-attainment/ Million plus cities in India under National Clean Air Programme (NCAP)

State/Union Territory	S.No.	City
Andhra Pradesh (13)	1.	Guntur
	2.	Kurnool
	3.	Nellore
	4.	Vijayawada
	5.	Vishakhapatnam
	6.	Anantapur
	7.	Chitoor
	8.	Eluru
	9.	Kadapa
	10.	Ongole
	11.	Rajahmundry
	12.	Srikakulam
	13.	Vizianagaram
Assam (05)	14.	Guwahati
	15.	Nagaon
	16.	Nalbari
	17.	Sibsagar
	18.	Silchar
Bihar (03)	19.	Patna
	20.	Gaya
	21.	Muzaffarpur
Chandigarh (01)	22.	Chandigarh
Chhattisgarh (03)	23.	Bhilai
	24.	Korba
	25.	Raipur
Delhi (01)	26.	Delhi
Gujarat (04)	27.	Surat
	28.	Ahmedabad
	29.	Vadodara
	30.	Rajkot*
Himachal Pradesh (7)	31.	Baddi
	32.	Damtal
	33.	Kala Amb
	34.	Nalagarh
	35.	Paonta Sahib
	36.	Parwanoo
	37.	Sunder Nagar

Jammu and Kashmir (2)	38.	Jammu
	39.	Srinagar
Jharkhand (03)	40.	Dhanbad
	41.	Jamshedpur*
	42.	Ranchi*
Karnataka (04)	43.	Bangalore
	44.	Devanagere
	45.	Gulburga
	46.	Hubli-Dharwad
Madhya Pradesh (07)	47.	Bhopal
	48.	Dewas
	49.	Indore
	50.	Sagar
	51.	Ujjain
	52.	Gwalior
	53.	Jabalpur*
Maharashtra (19)	54.	Akola
	55.	Amravati
	56.	Aurangabad
	57.	Badlapur
	58.	Chandrapur
	59.	Jalgaon
	60.	Jalna
	61.	Kolhapur
	62.	Latur
	63.	Mumbai
	64.	Nagpur
	65.	Nashik
	66.	Navi Mumbai
	67.	Pune
	68.	Sangli
	69.	Solapur
	70.	Ulhasnagar
	71.	Thane
	72.	Vasai-Virar*
Meghalaya (01)	73.	Byrnihat
Nagaland (02)	74.	Dimapur

	75.	Kohima
Orissa (07)	76.	Angul
	77.	Balasore
	78.	Bhubaneswar
	79.	Cuttack
	80.	Rourkela
	81.	Talcher
	82.	Kalinga Nagar
Punjab (09)	83.	DeraBassi
	84.	Gobindgarh
	85.	Jalandhar
	86.	Khanna
	87.	Ludhiana
	88.	NayaNangal
	89.	Pathankot/Dera Baba
	90.	Patiala
	91.	Amritsar
Rajasthan (05)	92.	Alwar
	93.	Jaipur
	94.	Jodhpur
	95.	Kota
	96.	Udaipur
Tamilnadu (04)	97.	Thoothukudi
	98.	Trichy
	99.	Madurai
	100.	Chennai*
Telangana (04)	101.	Hyderabad
	102.	Nalgonda
	103.	Patancheruvu
	104.	Sangareddy
Uttar Pradesh (17)	105.	Agra
	106.	Allahabad
	107.	Anpara
	108.	Bareily
	109.	Firozabad
	110.	Gajraula
	111.	Ghaziabad

	112.	Jhansi
	113.	Kanpur
	114.	Khurja
	115.	Lucknow
	116.	Moradabad
	117.	Noida
	118.	Raebareli
	119.	Varanasi
	120.	Gorakhpur
	121.	Meerut*
Uttarakhand (03)	122.	Kashipur
	123.	Rishikesh
	124.	Dehradun
West Bengal (07)	125.	Kolkata
	126.	Asansol
	127.	Barrackpore
	128.	Durgapur
	129.	Haldia
	130.	Howrah
	131.	Raniganj
Haryana (1)	132.	Faridabad*
*Million plus cities but not part of non-attainment cities		

(3) For sub-rules (1) and (2), the footage from an electronic enforcement device having electronic stamp for location, date and time, can be used to issue challan for the following offences, namely:—

(i) not driving within the prescribed speed limit (sections 112 and 183);

(ii) stopping or parking vehicle at an unauthorised location (section 122);

(iii) not undertaking Safety measures for drivers and pillion riders (section 128);

(iv) not wearing protective headgear or helmet (section 129);

(v) jumping a red light, violating a stop sign, using of handheld communications devices while driving, passing or overtaking other vehicles in a manner contrary to law, driving against the authorised flow of traffic, driving in any manner that falls far below what would be expected of a competent and careful driver and where it would be obvious to a competent and careful driver that driving in that manner would be dangerous(section 184);

(vi) driving vehicle exceeding permissible weight (sub-section (1) of section 194);

(vii) driving without safety belt (section 194B);

(viii) contravention of rule 6 (pertaining to lane driving) of the Motor Vehicles(Driving) Regulations, 2017 (section 177A);

(ix) Goods carriage carrying passengers (section 66);

(x) contravention of rule 36 (pertaining to Registration plates) of the Motor Vehicles(Driving) Regulations, 2017 (section 177A);

(xi) driving vehicle with load that extends beyond the sides of body or to the front or to the rear or in height beyond the permissible limit (sub-section (1A) of section 194);

(xii) failure to provide free passage to emergency vehicle (section 194E).

(4) (a) State Governments shall ensure that appropriate warning signs are conspicuously placed before the stretches monitored by electronic enforcement device, notifying the public that such device is in use and the concerned authorities shall ensure that physical markings, physical stop lines and pedestrian crossing are clearly marked on the road.

(b) Appropriate fixed and dynamic speed limit signs may also be used to notify the speed limits on the road sections during adverse weather conditions, such as rain, hail, foggy weather etc. as well as for indicating any obstruction ahead in the route.

(5) (a) Body wearable cameras shall be explicitly used by the law enforcement officers, such as police and transport officials, while managing the traffic or carrying out any enforcement drive and such devices shall be used to record the proceedings of an event, which can be used in the court as an evidence against the offending driver or person and also ensure that the law enforcement official has acted as per the provisions of law while penalising the offending driver or person.

(b) Both the video and audio functions of the body camera shall be activated only when the law enforcement official is on duty and the official shall notify the subjects that they are being recorded by the body camera.

(6) All challans issued under rule 167 in electronic form using auto-generation of challan through the electronic monitoring and enforcement system shall be accompanied with the following information, namely:—

(i) clear photographic evidence highlighting the offence and the license plate of the vehicle;

(ii) measurement from the electronic enforcement device;

(iii) date, time and place of the offence;

(iv) notice specifying the provision of Act that has been violated;

(v) certificate as per sub-section(4) of section 65B of the Indian Evidence Act 1872(1 of 1872), which,—

(a) identifies the electronic record and describes the manner in which it was produced;

(b) gives such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;

(c) signed by the officer authorised in this behalf by the State Government.

(7) Challans, under sub-rules (1) and (2), shall be issued in the name of the registered owner of the vehicle and must be accompanied with a notice of offence in electronic form viz SMS or e-mail or in physical form.

(8) (a) The payment of the challan shall be made within the time period specified in the sub-rules (5), (6) and (7) of rule 167.

(b) The payment of e-challan can be made electronically on an online portal specified by the State Government or using cash or card at Traffic Police Stations or at designated places or the e-payment gateway of the e-challan system as specified by States.

(9) The notice of offence shall be sent within fifteen days of the occurrence of the offence and the electronic record collected by way of electronic monitoring should be stored till the disposal of challan and in the case where the electronic record relates to an offence, should be stored till the conclusion of proceedings initiated, including appeals.

(10) In case the owner of the vehicle was not driving the vehicle at the time of offence, he may claim innocence before the police officer or any officer authorised by the State Government, by providing appropriate proof that he was not the driver at the time of the offence, or that another person was the driver at the time of the offence.".

[F. No. RT-16031/1/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 525(E) dated 2nd August 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.17 20:35:46 +05'30'